

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 00057 / 2019

उनवान

1. रतनजी पिता कुरीया जाति पटेल निवासी ओंडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी।

बनाम

1. सचिव महोदय, वन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर राजस्थान।
2. जिला वन अधिकारी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रैनज गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा (राज.)।
5. तहसीलदार तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण।

## आदेश 21 नियम 11 C.P.C.


निर्णय

दिनांक 30.12.2025

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय प्रकरण संख्या 33/2010 उनवान वनेश्वर बनाम वन विभाग में पूर्व पारित डिक्री में पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाड़ा के गत सर्वे नं. 87/2 रकबा 8 बीघा भूमि के हाल सर्वे नम्बर 78/8200 रकबा 1.28 हे० का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया है। जिसका नामान्तरणकरण लम्बित है। उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी को खाते में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड की जाकर राजस्व नक्शे में इस आशय की इन्द्राज दुरस्ती किये जाने बाबत् प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश हुआ।


प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी रैनज गढ़ी उपस्थित हुए। वन विभाग को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि न्यायालय में पारित डिक्री अनुसार दिनांक 8.4.2011 को वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा लोहारिया का हाल नवसृजित राजस्व ग्राम मोटावा पटवार हल्का लोहारिया के हाल सर्वेनम्बर 78/8200 रकबा 1.12 हे० भूमि वादीगण वनेश्वर व अन्य के खाते में दर्ज की जाने एवं राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती की जाने हेतु डिक्री पारित की गई है। ग्राम मोटावाड़ा, पटवार मण्डल लोहारिया में जमाबंदी अनुसार खाता सं. 461 के हाल सर्वे नम्बर 78/8200 रकबा 7.30 हे० किस्म वन विभाग, खातेदार वन विभाग हिस्सा पेश पेश के लिए दर्ज रिकार्ड है। उक्त डिक्री होने के पश्चात आज दिनांक तक वादीगण के पक्ष में नामान्तरणकारी कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वन विभाग के नीम, कन्जेडा, रोजडा व खेर के वृक्ष मौके पर स्थित होना बताते हुए जवाब मय ग्राम मोटावाड़ा की जमाबंदी संवत् 2075 से 78 पेश की।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ईजराय प्रार्थना-पत्र, संलग्न दस्तावेजों एवं भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि वनविभाग के नाम दर्ज रिकार्ड होकर वनविभाग का कब्जा है तथा वन विभाग के पेड लगे हुए हैं। अतः ईजराय प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12. 2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

  
(श्रवण सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी,  
गढ़ी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा